न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 31/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00453)

1. हरपाल सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, जाति अहीर, निवासी यादव कृषि फार्म, साठ फुट रोड़, अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अलवर।
2. नगर विकास न्यास, अलवर जरिये सचिव नगर विकास न्यास अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः 32/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00023)

1. हरपाल सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, जाति अहीर, निवासी यादव कृषि फार्म, साठ फुट रोड़, अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अलवर।
2. नगर विकास न्यास, अलवर जरिये सचिव नगर विकास न्यास अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 10.10.2012 एवं 08.05.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 बी के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.49 हैक्टयर व खसरा नम्बर 206 रकबा 0.17 हैक्टयर वाके ग्राम दाउदपुर तहसील व जिला अलवर को कभी भी आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अधीनस्थ न्यायालय से आग्रह नही किया और अपीलार्थी की उपरोक्त आराजी पर अभी भी काश्त होती है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आराजी को भूमि रूपान्तरण करने से पूर्व कभी कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश कुदरती सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि उपरोक्त भूमि के रूपान्तरण के सम्बन्ध में समाचार पत्र अलवर का झरोखा में दिनांक 30.11.2012 को सूचना प्रकाशित हुई है जो

P.T.O.

समाचार पत्र कतई तौर पर अलवर मे वितरित नही होता है तथा नुमायशी तौर पर उपरोक्त समाचार पत्र का प्रकाशत होता है जिससे अपीलार्थी को उपरोक्त समाचार पत्र मे प्रकाशित किसी सूचना की जानकारी भी नही हो सकी तथा अपीलार्थी को कोई नोटिस व्यक्तिगत तामील नही हुआ जिससे भी अपीलाधीन आदेश न्याय के कुदरती सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति की आराजी को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाऐ एवं सुनवई का अवसर प्रदान किये उसे अन्य किसी व्यक्ति की खातेदारी में अन्तरित नही किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलार्थी की आराजी को नगर विकास न्यास की खातेदारी में अंतरित किये जाने की आज्ञा द्वारा पारित की गई है जो न्याय के कुदरती सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी भारतीय सेना से सेवानिवृत फौजी है तथा अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण उपरोक्त भूमि में काश्तकारी कार्य करके करता है तथा अपीलार्थी को उपरोक्त भूमि मे आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने को कोई इरादा नही है। अपीलार्थी उपरोक्त आराजी मे उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं अनुसार बागवानी करना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि का अन्तरण नगर विकास न्यास के नाम हो जाने से अपीलार्थी उद्यान विभाग द्वारा कोई सहायता नही दी जा रही है जिससे अपीलार्थी को यह अपील करना आवश्यक हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को अपनी आराजी की जमाबन्दी की नकल दिनांक 08.07.2017 को प्राप्त करने पर हुई जिस पर अपीलार्थी ने नामान्तरकण संख्या 765 व 768 की नकल प्राप्त की उससे अपीलाधीन आदेश की बाबत जानकारी मिलने पर दिनांक 17.01.2017 को नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जिससे अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 10.12.2012 एवं 08.05.2013 को अपास्त किया जावे एवं इसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 765 व 768 को रद्द किया जावे तदानुसार कागजात माल से नगर विकास न्यास का नाम कलमजन किया जाकर अपीलार्थी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

...ीय आयुक्त
...यपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस तो जारी किये गये है किन्तु उक्त नोटिसेज की सम्यृक रूप से अपीलार्थी को तामील होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य, पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा अपीलान्ट स्वयं अपनी अपील में उक्त वादग्रस्त आराजी का कृषि कार्य में उपभोग–उपयोग करना कहकर आ रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता हे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 10.12.2012 एवं 08.05. 2013 अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की पुनः जॉच करवाई जाकर एवं अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर